

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ. 10 () सर्त./सी.एम. हैल्पलाईन/राज.सम्पर्क/ ICDS / 17/ 48449-786
जयपुर, दिनांक: 28.3.18

समस्त उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग


समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं

विषय:- सी.एम. हैल्पलाईन पर लम्बित प्रकरणों के निस्तरण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सी.एम. हैल्पलाईन पर विभाग में बहुत सी शिकायतें लम्बित चल रही हैं। जिनका प्रत्युत्तर निर्धारित समयवधि में नहीं दिये जाने के कारण वे सचिव महोदया की आई.डी. पर स्वतः अग्रेषित हो गई है।


उक्त संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 04.04.2018 को बैठक ली जानी संभावित है। इससे पूर्व सचिव महोदया द्वारा दिनांक 02.04.2018 को इस संबंध में बैठक आयोजित की गई है।

अतः निदेशक महोदया के निर्देशानुसार आप दिनांक 29.03.2018 से 01.04.2018 (चार दिवस) राजकीय अवकाशों के दिन कार्यालय खुलवाकर सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों का निस्तरण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।


उप निदेशक (वि.खा.का.)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 10 () सर्त./सी.एम. हैल्पलाईन/राज.सम्पर्क/ ICDS / 17/ जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि:- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित है।


उप निदेशक (वि.खा.का.)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।